न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री अंशुल सिंह, **R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 91/2019 दायर दिनाँक 13.03.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. लोड़ू खां पुत्र नेनू खां उर्फ नानूखाँ जाति शैरानी निवासी शेरानी आबाद तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. मजीद खां पुत्र इजाज खां 2. खलील अहमद पुत्र इजाज खां 3. जमील खां पुत्र इजाज खां 4. समसुदीन पुत्र इजाज खां 5. जुबैदा पत्नी इजाज खां 6. मोहम्मद खां पुत्र हबीब खां 7. धापू पुत्री महमद बगस 8. हुरमत पुत्री महमद बगस 9. धनी पुत्री महमद बगस 10. जोरा पुत्री महमद बगस 11. सुफिया पुत्री महमद बगस 12. गुलाब पुत्री महमद बगस 13. खातुन पत्नी महमद बगस समस्त जाति शैरानी निवासीगण शैरानी आबाद तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 14. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा—53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री शरीफ शैरानी, वकील, वादी।
2. श्री मो0 रफीक, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 13 की तरफ से।

—:: अंतिम निर्णय ::—

दिनाँक 21.01.2020

सरहद शेरानी आबाद में खेत खसरा नम्बर 23 रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा, खसरा सं0 1157/23 रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा, 1158/23 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनाँक 17.10.2019 को तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांकः 2224 दिनाँक 26.12.2019 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 91/2019
दायर दिनाँक 13.03.2019, निर्णय दिनाँक 21.01.2020
लोड़ खां बनाम मजीद खां, वगैरा।

प्रस्तावित बन्टवारा पर पक्षकारान् सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन जरिये पत्रांकः 2224 दिनाँक 26.12.2019 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद शेरानी आबाद में खेत खसरा नम्बर 23 रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा, खसरा सं0 1157/23 रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा, 1158/23 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा भूमि का ''बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स'' के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 2224 दिनाँक 26.12.2019 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 2224 दिनाँक 26.12.2019 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

अंतिम निर्णय आज दिनाँक **21.01.2020** को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री वमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री अंशुल सिंह, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **91/2019** दायर दिनॉक **13.03.2019**

वादी		प्रतिवादीगण
1. लोडू खां पुत्र नेनू खां उर्फ नानूखॉं जाति शैरानी निवासी शेरानी आबाद तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. मजीद खां पुत्र इजाज खां 2. खलील अहमद पुत्र इजाज खां 3. जमील खां पुत्र इजाज खां 4. समसुदीन पुत्र इजाज खां 5. जुबैदा पत्नी इजाज खां 6. मोहम्मद खां पुत्र हबीब खां 7. धापू पुत्री महमद बगस 8. हुरमत पुत्री महमद बगस 9. धनी पुत्री महमद बगस 10. जोरा पुत्री महमद बगस 11. सुफिया पुत्री महमद बगस 12. गुलाब पुत्री महमद बगस 13. खातुन पत्नी महमद बगस समस्त जाति शैरानी निवासीगण शैरानी आबाद तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 14. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–53, 88, 188 R.T.Act.

दिनॉक **21.01.2020**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री शरीफ शैरानी, वकील, वादी व श्री मो0 रफीक वकील प्रतिवादीगण की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, दावा डिक्री सादिर कर, सरहद शेरानी आबाद में खेत खसरा नम्बर 23 रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा, खसरा सं0 1157/23 रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा, 1158/23 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा भूमि का "बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 2224 दिनॉक 26.12.2019 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 2224 दिनॉक 26.12.2019 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–..
..................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 21.01.2020 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	—		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2020.01.29 15:41:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: